

1952
संख्या-~~15~~/15-7-08-18(80)/3907

प्रेषक

नमता श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

सचिव,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र-2 समुदाय केंद्र,
प्रीति विहार नई दिल्ली।

विषय (7) अनुभाग

संज्ञान सं. दिनांक 20 फरवरी, 2008

विषय - सेंट फ्रांसिस कान्वेंट स्कूल, सिकन्दरा, आगरा को सीधे ईएएसईओ नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सीधे ईएएसईओ नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अर्थात् आपत्ति नहीं है -

- (1) विद्यालय की फजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भेद्योक्त बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 100% माध्यमिक शिक्षा परिषद/केन्द्रीय शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पुर्न में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन नई दिल्ली/कॉन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जांमिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषद से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 100% माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिष्टाचार कर्मचारियों का राज्यीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त असायकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुसूचित सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।

- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पत्रिकाओं में रखा जायेगा ।
(9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(ममता श्रीवास्तव)
उप सचिव ।

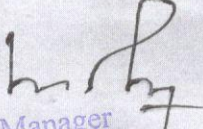
पाठसंख्या एवं दिनांक तदीय

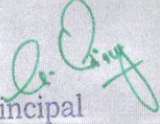
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक(माओ), उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा ।
- 4- निरीक्षक, आगरा भारतीय विद्यालय उओओ, लखनऊ ।
- ✓ 5- प्रबंधक, सेंट फ्रांसिस कन्वेंट स्कूल, सिकंदरा, आगरा ।
- 6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)
उप सचिव ।


Manager
St. Francis' Convent School
UPSIC Road
Sikandra, Agra-282 007


Principal
St. Francis' Convent School
UPSIC Road
Sikandra, Agra-282 007